UPMP040116692022

Presented on : 14-07-2022
Registered on : 14-07-2022
Decided on : 18-07-2026
Duration : 4 years, 0 months, 4 days

Warrant or Summons Criminal Case/7573/2022

न्यायालय सिविल जज(अ०व०),एफ.टी.सी. (कोतवालीओं के विरुद्ध अपराध), मैनपुरी।

पीठासीन अधिकारी– (MONU), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP4848

उपस्थित–मोनू (उ.प्र.न्यायिक सेवा)(UP04848)

दण्डवाद संख्या–2544/2026

राज्य

बनाम

1. अजीत कुमार पुत्र स्व० छक्कन लाल
2. रामौतार पुत्र स्व० छक्कन लाल
3. सुषमा पत्नी रामौतार
4. अनमोल पुत्र रामौतार
5. शिवानी पुत्री रामौतार

समस्त निवासीगण ग्राम ताखा, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद।

मु. अ. संख्या 31/2021
अं० धारा–323,498 ए,506 भा.दं.सं.
व 3/4 डी.पी.एक्ट
थाना– महिला, जिला– मैनपुरी ।

घटनाक्रम का विवरण

क्रम संख्या	दिनांक	कार्यवाही
1.	01.10.2021	एफ.आई.आर. दिनांक
2.	31.07.2024	आरोप विरचन
3.	23.06.2025	बयान परीक्षा पी0 डब्लू0 1
4.	25.02.2026	बयान परीक्षा पी0 डब्लू0 2
5.	08.07.2026	बयान अभियुक्त धारा 313 द०प्र०सं०
6.	16.07.2026	बहस
7.	18.07.2026	निर्णय

अभियुक्त का विवरण

क्रं. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत दिनांक	आरोप अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	सजा	मुकदमें के दौरान हिरासत में बिताई गई अवधि
1.	अजीत कुमार			323,498 ए,506 भा.दं.सं. व ¾ डी.पी.एक्ट	दोषमुक्त		

2.	**रामौतार**			**323,498** ए,**506** भा.दं.सं. व ¾ डी.पी.एक्ट	**दोषमुक्त**		
3.	**सुषमा**			**323,498** ए,**506** भा.दं.सं. व ¾ डी.पी.एक्ट	**दोषमुक्त**		
4.	**अनमोल**			**323,498** ए,**506** भा.दं.सं. व ¾ डी.पी.एक्ट	**दोषमुक्त**		
5.	**शिवानी**			**323,498** ए,**506** भा.दं.सं. व ¾ डी.पी.एक्ट	**दोषमुक्त**		

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय के गवाहों की सूची

1. अभियोजन पक्ष का गवाह

गवाह का क्रम	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, चिकित्सीय गवाह अन्य गवाह)
पी०डब्ल्यू०–01	बीना सिंह	प्रत्यक्षदर्शी (पीड़िता)
पी०डब्ल्यू०–02	सोबरन सिंह	अप्रत्यक्षदर्शी (पीड़िता के पिता)

2. बचाव पक्ष का गवाह

गवाह का क्रम	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, चिकित्सीय गवाह अन्य गवाह)
–	–	–
–	–	–

3. न्यायालय का गवाह

गवाह का क्रम	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, चिकित्सीय गवाह अन्य गवाह)
–	–	–

अभियोजन पक्ष/ बचाव पक्ष / अदालत में प्रस्तत किए गए दस्तावेजों की सूची

1. अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

2. बचाव पक्ष का प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

3. न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण **1. अजीत कुमार पुत्र स्व० छक्कन लाल, 2. रामौतार पुत्र स्व० छक्कन लाल, 3. सुषमा पत्नी रामौतार, 4. अनमोल पुत्र रामौतार** व **5. शिवानी पुत्री रामौतार** का आरोप पत्र थाना–महिला, जिला मैनपुरी की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–**31/2021**, अंतर्गत धारा–**323,498** ए**,506** भा.दं.सं. व **3/4** डी.पी.एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा योजित किया गया है।

<u>अभियोजन कथानक</u>

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मेरी शादी हिन्दू रीति रिवाज से ग्राम ममशीरपुर थाना करहल जिला मैनपुरी में अजीत कुमार पुत्र स्व० छक्कनलाल निवासी ग्राम ताखा पोस्ट मुसादपुर थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद के साथ दिनॉक 25.11.2020 में सम्पन्न हुई थी। शादी में मेरे घर वालो ने दानस्वरूप दस लाख रूपया नकद, एक जंजीर सोने की व एक अंगूठी सोने की, तथा वाशिंग मशीन, कूलर, फिज, डबल बैड, पंखा सिलाई मशीन, टी०वी०. अलमारी, गैस चूल्हा, मिक्सी, प्रेस, डायनिंग सैट, सोफासेट, मोटर साइकिल के लिये 85,000 रू० नकद दिये शादी में लगभग बीस लाख रूपया मेरे घर वालों ने खर्च किये थे। शादी में दिये गये दान दहेज से मेरे ससुरालीजन मेरे पति अजीत कुमार, व जेठ रामौतार, पुत्रगण स्व० छक्कनलाल तथा जिठानी सुषमा तथा जेठ के लड़के पुनीत व अनमोल व पुत्री शिबानी निवासीगण ग्राम ताखा पोस्ट मुसादपुर थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद सन्तुष्ट नहीं थे शादी के बाद से ही मुझे सभी लोग अतिरिक्त दहेज में चार लाख रूपये नकद की लाने के लिये प्रताड़ित करने लगे और भूखा, प्यासा रखने लगे तथा कमरे में बन्द कर रखने लगे। मेरे पति को मेरी जिठानी रात में फोन से बुला लेती है, जब मैंने इसकी शिकायत जेठ से की तो सभी लोगों ने मेरी मारपीट की तथा कमरे में बन्द कर दिया, तो मैंने सारी बात अपने घर वालों को बतायी तो मेरे मायके वालों ने मेरे ससुरालीजनों को काफी समझाया बूझाया परन्तु उक्त ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में चार लाख रुपये लाने के लिये दबाव बनाते रहे। जब मुझे काफी प्रताड़ित किया जाने लगा तो मैंने अरॉव चौकी पर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें समझौता करा दिया गया। दिनांक–26.09.2021 को दिन के 12 बजे मेरे पति अजीत कुमार व जेठ, जिठानी व उनके तीनों बच्चों ने मुझे जबरदस्ती कार में बैठा कर कंचनपुर पहने हुये कपड़ों में धक्का मारकर उतार दिया तब मैंने अपने भाई सुबोध को फोन किया तो सुबोध वहां पर आ गया और यह लोग अतिरिक्त दहेज में चार लाख रुपये की मांग पूरी होने पर तुम्हारी बहिन को रखेंगे अन्यथा मेरे घर छोड़ने आये तो उसे जान से मार देंगे। मेरा उपरोक्त ससुरालीजनों ने सारा स्त्रीधन छीन लिया तथा रास्ते में भी सभी लोग मेरी मारपीट करते आये। तब प्रार्थिनी यह रिपोर्ट लिखाने आई है। मेरी रिपोर्ट लिखकर उपरोक्त ससुरालीजनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। अति कृपा होगी।

<u>आरोप पत्र</u>

3. वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना महिला, जिला मैनपुरी में प्रथम सुचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या–**31/2021**, अंतर्गत धारा–**323,498** ए**,506** भा.दं.सं. व **3/4** डी.पी.एक्ट विरुद्ध अभियुक्तगण **अजीत कुमार, रामौतार, सुषमा, पुनीत, अनमोल** एवं **शिवानी** के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना करते हुए घटना स्थल का मानचित्र बनाया तथा गवाहान के

बयान अंकित किये, संकलित प्रबल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण **अजीत कुमार, रामौतार, सुषमा, अनमोल** एवं **शिवानी** के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुय अन्तर्गत धारा– **323,498** ए**,506** भा.दं.सं. व **3/4** डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।

4. न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक–08.07.2022 को प्रसंज्ञान लिया गया । न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण **अजीत कुमार, रामौतार, सुषमा, अनमोल** एवं **शिवानी** को तलब किया गया। अभियुक्तगण उपस्थित आयें और अपनी–अपनी जमानतें करायी। अभियुक्तगण **अजीत कुमार, रामौतार, सुषमा, अनमोल** एवं **शिवानी** को धारा 207 दं.प्र.सं. के अनुपालन में अभियुक्तगण को नकलें प्राप्त कराई गई।

<u>आरोप का विरचन</u>

5. अभियुक्तगण **अजीत कुमार, रामौतार, सुषमा, अनमोल** एवं **शिवानी** के न्यायालय उपस्थित आने पर दिनांक–31.07.2024 को आरोप अन्तर्गत धारा **323,498** ए**,506** भा.दं.सं. व **3/4** डी.पी.एक्ट में विरचित किये गये, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की ।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

6. अभियोजन पक्ष को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0 डब्लू–1 के रूप में **बीना सिंह (वादिनी मुकदमा)** एवं पी०डब्लू०–2 के रूप में **सोबरन सिंह (पीड़िता के पिता)** को परीक्षित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से दिनांक 22.04.2026 को शेष गवाहों को उन्मोचित कराया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया। औपचारिक साक्षियों को परीक्षित कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ।

<u>अभियुक्त बयान अंतर्गत धारा– 313</u>

7. अभियुक्तगण **अजीत कुमार, रामौतार, सुषमा, अनमोल** एवं **शिवानी** का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. दिनांक–08.07.2026 लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसके द्वारा कहा गया कि मुकदमा गलत व रंजिशन चलाया जाना बताया गया है। उनके विरुद्ध सभी साक्ष्य झूठ है। सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

8. न्यायालय ने राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवकता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया ।

09. परीक्षण इस तथ्य का करना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है?

10. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0–1 के रूप में **बीना सिंह (वादिनी मुकदमा)** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 25.11.2020 को मेरी शादी अजीत कुमार निवासी ताखा थाना सिरसागंज के साथ हुयी थी। शादी में मेरे पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दस लाख रुपये व घर गृहस्थी का पूरा सामान व एक मोटर साइकिल दान उपहार में दिया था। शादी में दिये गये दान उपहार से मेरे ससुरालीजन खुश नहीं थे और चार लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मेरे पति अजीत कुमार, रामौतार, जेठानी सुषमा, जेठ के लड़के अनमोल, पुनीत, शिवानी

मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। मैंने अपने घर पर इस बात को बताया तो मेरे घर वालों ने ससुरालीजनों को काफी समझाया बुझाया। दिनांक 26.09.2021 को समय 12 बजे दिन में कार में बैठाकर कंचनपुर में छोड़ दिया और कहा कि 4 लाख रुपये लेकर आओगी तभी तुम्हें रखेंगे। मैंने घटना की सूचना महिला थाने में दी थी। कागज संख्या 4 अ/3 मूल तहरीर पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। दरोगा जी ने मुझे पूछाताछ की थी।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी के द्वारा कथन किया गया है कि मैं गवाही देने अपनी ससुराल से आयी हूँ। मैं अपनी ससुराल में ही रहती हूं। मेरा एक 6 महीने का बेटा है। मुझे अपने ससुराल वालों से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शादी के बाद मैं कई बार अपने घर आयी गयी। घर के कामों को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। मुझे मेरे पति अजीत कुमार, जेठ रामौतार, अनमोल, शिवानी, पुनीत ने दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया। मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहती और न ही मेरे ससुरालीजनों ने कोई दहेज की मांग की। मेरे ससुरालीजनों ने कोई दहेज की मांग नहीं की। मैंने गांव वालों के कहने पर थाने पर इन लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। आज मैं जो बयान दे रही हूँ बिना किसी जोर दबाव के दे रही हूँ। यह कहना सही है कि मेरा अपने ससुरालीजनों से सुलह समझौता हो गया। यह कहना गलत है कि सुलह–समझौता के कारण मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रही हूँ।

11. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0–2 के रूप में **सोबरन सिंह (पीड़िता के पिता)** को परीक्षित कराया गया है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि मेरी बेटी की शादी अजीत कुमार के साथ वर्ष 2020 में हुई थी। शादी के बाद मेरी बेटी बीना को उसके ससुरालीजन रामऔतार, सुषमा, अनमोल, शिवानी व पति अजीत कुमार के साथ घरेलू कामकाज को लेकर कहासुनी व वाद–विवाद होने लगा था। उपरोक्त लोगों ने बीना के साथ मारपीट अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की और न ही अतिरिक्त दहेज को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित व जान से मारने की धमकी दी है। मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। गवाह को 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया, गवाह ने कहा मैंने ऐसा बयान पुलिस ने नहीं दिया था, कैसे लिख लिया। मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ। यह कहना सही है कि मेरी बेटी बीना व उसके पति व परिवारीजनों के बीच राजीनामा हो गया है और दोननों साथ–साथ रह रहे हैं किन्तु यह कहना गलत है कि मेरा राजीनामा होने के कारण आज मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

उक्त साक्षी को जिरह हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया।

निष्कर्ष

12. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू.–01 **बीना सिंह (वादिनी मुकदमा)** व पी.डब्लू.–02 **सोबरन सिंह (पीड़िता के पिता)** के बयानों के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन पक्ष को संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। पी.डब्लू.-01 **बीना सिंह (वादिनी मुकदमा)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है परंतु प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पी.डब्लू.– 02 **सोबरन सिंह (पीड़िता के पिता)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मात्र एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। यदि

उसका साक्ष्य विश्वसनीय हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–134 साक्षियों की संख्या नहीं बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता पर बल देती है। ऐसी ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी **विधि व्यवस्थाओं लल्लू मांझी बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड ए.आई.आर 2013 एससी 286** में अभिमत व्यक्त किया है कि मात्र एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। यदि वह साक्षी विश्वसनीय हो और उसका साक्ष्य गुणवत्ता पूर्ण हो। परंतु प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन ने जो साक्षी परीक्षित कराये हैं, उनके साक्ष्य में घोर विरोधाभास है और ऐसा विरोधाभास तात्विक विरोधाभास है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के विश्लेषणोपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादी द्वारा अभियुक्तगण **अजीत कुमार, रामौतार, सुषमा, अनमोल** एवं **शिवानी** पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ देते हुए अपराध अंतर्गत धारा–**323,498** ए**,506** भा.दं.सं. व ¾ डी.पी.एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा ।

आदेश

अभियुक्तगण **1. अजीत कुमार पुत्र स्व० छक्कन लाल, 2. रामौतार पुत्र स्व० छक्कन लाल, 3. सुषमा पत्नी रामौतार, 4. अनमोल पुत्र रामौतार** व **5. शिवानी पुत्री रामौतार,** निवासीगण ग्राम ताखा, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद, आपराधिक वाद संख्या–**2544/2026,** मुकदमा अपराध संख्या**-31/2021,** थाना महिला, जिला मैनपरी, के अपराध में अन्तर्गत धारा– **323,498** ए**,506** भा.दं.सं. व ¾ डी.पी.एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

अभियुक्तगण उपरोक्त जमानत पर हैं, विचारण के दौरान दाखिल उनके बन्धपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा धारा **437 ए दं०प्र०सं०** के अन्तर्गत दाखिल किये गये जमानतनामें एवं बन्धपत्र छः माह के लिए वैध रहेंगे

दिनांकः-18.07.2026

(मोनू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (अ. व.)
एफ.टी.सी. (सी. ए.डब्लू.), मैनपुरी।
J.O. Code UP04848

उपरोक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया ।

दिनांकः-.18.07.2026

(मोनू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (अ. व.)
एफ.टी.सी. (सी. ए.डब्लू.), मैनपुरी।
J.O. Code UP04848